के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ... होंगे जो विधिपूर्वक ...
... कर्तव्य एवं अधिकार निम्नवत् होंगे जो विधिपूर्वक ...

832
14/03/13

5
1300/-

न्यायालय उपजिलाधिकारी लखनऊ।

वाद सं० 40/12-13 अन्तर्गत धारा-143 ZALR Act
आशा शिक्षा ग्राम उत्थान संस्थान। ग्राम -
अजगैर गाँव, परगना-तहसील व जिला लखनऊ।
निर्णय दिनांक-08/03/13
(i) प्रयोगोपरान्त भूमि को निरस्त किया गया।
(ii) नकल छायाप्रति आदेश दिनांक 08/03/13 संलग्न।

832
14/03/13

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कले0 (प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वद संख्या : 501/12-13
आशा मिश्रा बनाम उ0प्र0 सरकार
धारा : 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट
ग्राम : अमराई गॉव, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही आशा मिश्रा पत्नी करूणा शंकर मिश्रा निवासी 481/48/7ए. मोहन मेकिन रोड, डालीगंज, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अर्न्तगत प्रारम्भ की गई । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह अभिलिखित है कि प्रार्थी भूमि ,खसरा संख्या 188 मि0 रकबा 0.305 हे0 भूमि स्थित ग्राम अमराई गॉव का मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि के चारो तरफ आबादी हो गयी है। विगत 5 वर्षो उपरोक्त भूमि का भू-उपयोग आवसीय/व्यवसायिक हो रहा है एवं उसमें चारों तरफ बाउण्ड्री वाल बनी हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर-कृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 05.12.2012 के अनुसार प्रश्नगत गाटा संख्या 188 रकबा 1.253 हे0 में से रकबा 0.305 हे0 आवेदक के नाम दर्ज है। उक्त भूमि कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि नही किया जाता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का नहीं है। नियम 135 (6) के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है एवं नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि का उपयोग अकृषिक है। कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि पर हुये निर्माण का छाया चित्र भी पत्रवली पर संलग्न किया गया है। ऐसी दशा में मौके पर उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक बाधा नहीं है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी तह0 सदर, लखनऊ

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 05.12.2012 की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार ग्राम अगराई गॉव, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 188 रकबा 1.253 है० में से रकबा 0.305 है० भूमि जो कि आशा मिश्रा पत्नी करुणा शंकर मिश्रा निवासी 481/48/7ए मोहन मेकिन रोड, डालीगंज लखनऊ के हिस्से वाली भूमि है, को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उनका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का उपयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजन 2021 के अनुसार ही अनुमान्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि मत्स, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से संबंधित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अर्न्तगत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अरूण कुमार)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०)
सदर लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 08/03/13 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित ,दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

नकल प्रार्थना पत्र देने की तिथि 14/03/13
नकल तैयार करने की तिथि 14/03/13
नकल जारी करने की तिथि 14/03/13
... 13.00/-
... 200 शब्द

(अरूण कुमार)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०)
सदर लखनऊ

प्रतिलिपि ... (प्रतिलिपिकार)
तुलना ... 4
तिथि 14/03/13

उप जिलाधिकारी
सदर, लखनऊ
14/3/2013

Scanned with OKEN Scanner